

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष आनंद,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

निबंधित

कार्यपालक अभियंता,
जल विज्ञान प्रमंडल-02,
अनिसाबाद, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- CWJC No. /2025, कलीमुल्लाह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में तथ्य कथन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- GP-19, महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार पटना द्वारा प्राप्त याचिका की प्रति (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा CWJC No. /2025, कलीमुल्लाह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दायर याचिका की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त याचिका में वादी द्वारा वेतन निर्धारण की शुद्धि की माँग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष CWJC No. /2025 कलीमुल्लाह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। जिसमें आपके कार्यालय आदेश-सह-ज्ञापांक-550 दिनांक-23.05.2025 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में वादी द्वारा दायर याचिका में उल्लेखित विषय वस्तु का संबंध आपके कार्यालय से होने के कारण उक्त याचिका की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित वाद में कंडिकावार तथ्य कथन तैयार कर विभागीय अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि उक्त वाद में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनीष आनंद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-

पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना/संयुक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 5005

पटना/दिनांक 15/10/25

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M. L. S. 14/10/25
अवर सचिव (प्रबंधन)।